

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्र. प.18(44)नविवि / जयपुर / 2014
सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर, दिनांक - 3 FEB 2015

विषय :- हाइटेंशन लाइनों के सेफ्टी कॉरीडोर के साथ सडकों की चौड़ाई व भवनों की ऊँचाई बाबत।
संदर्भ:- जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक जविप्रा/अति.मुन.नि./बीपीसी(एल.पी.) / सु.अ. / 14 / डी-228 दिनांक 28.10.2014

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आपको प्रेषित पत्रों (प्रति संलग्न) के अनुसार 132 के.वी. हाईटेंशन लाईन के लिए ROW 27 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 13.8 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष 13.2 मीटर में से सेफ्टी कॉरीडोर के दोनों ओर 6.6 मीटर चौड़ाई की पट्टी उपलब्ध सडक के मार्गाधिकार में सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है। इसी प्रकार 220 के.वी. लाईन के लिए ROW 35 मीटर अंकित किया गया है, जिसमें 18.6 मीटर सेफ्टी कॉरीडोर रखा जाना आवश्यक है अर्थात् शेष 16.4 मीटर में से सेफ्टी कॉरीडोर के दोनों ओर 8.2 मीटर चौड़ाई की पट्टी उपलब्ध सडक के मार्गाधिकार में सडक निर्माण हेतु प्रयोग की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भवनों की ऊँचाई निर्धारित किये जाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किया जाता है:-

"ROW of Hightention Line- Width of Safety Corridor+ Width of Existing Road."

उदाहरणार्थ:- 132 के.वी. हाईटेंशन लाईन तथा वर्तमान सडक की चौड़ाई 12 मीटर होने की स्थिति में सडक का मार्गाधिकार निम्नानुसार होगा:-

"27 मीटर-13.8 मीटर (सेफ्टी कॉरीडोर) =13.2 मीटर (6.6 मीटर दोनो ओर)
अर्थात् 12 मीटर + 6.6 मीटर = 18.6 मीटर के आधार पर इस सडक पर स्थित भवनों की ऊँचाई निर्धारित की जा सकती है।

भवदीय,

(राजेंद्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय